

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा टोंक

प्रारूप-2

{ नियम 8-क उप-नियम (4) देखिए }

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक, राजस्थान

कमांक:-जिशिअ/प्राशि/टोंक/सामान्य-2/मान्यता/2013-14/88

दिनांक 25-6-2013

अध्यक्ष/प्रबंधक
प्रबंध समिति

भगवान दास पारीक ड्रीम स्कूल काली के बाग के पास, निवाई, टोंक
(माध्यम अंग्रेजी)

विषय:- नियम 8-क के उप-उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता
प्रमाणपत्र।

महोदय/महोदया

आपके आवेदन दिनांक 28.03.2013 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं मांगी लाल महावर, जि०शि०अ०, प्रा०शि०, टोंक आपकी संस्था भगवान दास पारीक ड्रीम स्कूल काली के बाग के पास, निवाई, ब्लॉक निवाई को दिनांक 25.06.2013 से कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के लिए मान्यता मंजूर करता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी। विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र-संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालको को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालना करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा। कि:-

➤ विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

➤ कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा।

➤ किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।

➤ प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

➤ 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों का सम्मिलित किया जाये।

➤ अध्यापक 2002 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं, सहित भर्ती किये जाये। परन्तु वर्तमान अध्यापक जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं, नहीं रखते हैं। वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे।

➤ अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और

➤ अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेगे।

8. विद्यालय 2009 की अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुविधाएं निम्नानुसार हैं।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र:-3000 वर्ग गज
 - कुल निर्मित क्षेत्र:- 2300 वर्ग गज
 - खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र:- नही
 - कक्षा के कमरों की संख्या:-9
 - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष:-1
 - लडके एवं लडकियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर:-है
 - पीने के पानी की सुविधा:- है
 - मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई:- नही
 - अवरोध मुक्त पहुँच:- है
 - अध्यापन विज्ञता, सामाग्री / खेल-कूद उपस्कर/पुस्कालय की उपलब्धता
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नही चलाई जायेगी।
 10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएँ या खेल मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के परियोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
 11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28),के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
 12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता है।
 13. किसी चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा। और नियमों के अनुसार समूचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगा।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या-TNK 201301 है। कृपया इसे नोट किया जायें। और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा। जिनकी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा। जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाये।
 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण यदि कोई हो, सुनिश्चित करे।
 17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार।

0 0 2
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा टोंक
दिनांक 25-6-2013

- क्रमांक:-जिशिअ/प्राशि/टोंक/सामान्य-2/मान्यता/2013-14/89-93
- प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. श्रीमान् निजी सचिव, निदेशक, (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।
 2. श्रीमान् उप निदेशक (आर0टी0ई0) निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
 3. श्रीमान् उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर।
 4. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक।
 5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा, अधिकारी, निवाई।
 6. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

0 0 2
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा टोंक